उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 1174 / 2010 / 190(120) / XXVII(8) / 2008
दिनांकः देहरादून : 22 दिसम्बर, 2010

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:–

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट / मिलैट्री कैन्टीन के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के भीतर तैनात अथवा निवास कर रहे, जैसी भी स्थिति हो, भारतीय सशस्त्र बल / अन्य प्रतिरक्षा अधिष्ठानों के सदस्यों अथवा भूतपूर्व सैनिकों को कमान्डिंग आफिसर की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र, जिसमें उक्त अधिनियम के अधीन कर प्रभारित किये बिना बिक्री की संस्तुति की गई हो, के आधार पर–

(क) मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड जिसमें बैट्री चलित यान भी सम्मिलित हैं(विक्रय मूल्य सीमा अधिकतम 70 हजार रुपये);

(ख) निजी उपयोग हेतु वाहन चालक की सीट सहित अधिकतम 7 सीट की क्षमता वाले हल्के मोटर यान जिसमें एस0यू0वी0 सम्मिलित हैं(विक्रय मूल्य सीमा अधिकतम 5 लाख रुपये);

की ब्यौहारी द्वारा की गयी बिक्री के आवर्त पर निम्न शर्तो के अध्यधीन उक्त अधिनियम के अधीन कर संदेय नहीं होगा–

शर्तें

(एक) प्राधिकार पत्र दो प्रतियों में सम्बन्धित ब्यौहारी को निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति व्यवहारी के कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी। ब्यौहारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति वार्षिक विवरणी के साथ कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(दो) ब्यौहारी कर अवधि की विवरणी के साथ प्राधिकार पत्र के सापेक्ष की गयी बिक्री की सूची संलग्न करेगा;

(तीन) किसी भी सेवारत या भूतपूर्व सैनिक को चौपहिया वाहन क्रय की उपर्युक्त सुविधा एक बार ही उपलब्ध होगी;

(चार) इस अधिसूचना के अधीन दी गयी सुविधा के अन्तर्गत क्रय किये गये मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड या हल्के मोटर यान को क्रय करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के भीतर क्रेता की पत्नी / पति / पुत्र / पुत्री अथवा किसी सेवारत

या भूतपूर्व सैनिक को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रविष्टि, परिवहन विभाग के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र पर अभिलिखित की जायेगी;

(पॉच) सम्बन्धित अधिकारी सेवारत सैन्य कार्मिकों के सेवा अभिलेखों में या भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के अन्य अभिलेखों में यान क्रय की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे;

(छः) सम्पूर्ण राज्य के लिये वार्षिक संख्या–क्रमांक (क) पर उल्लिखित यानों के लिए तीन सौ पचास तक सीमित होगी और क्रमांक (ख) पर उल्लिखित यानों के लिए एक सौ पचास तक सीमित होगी। कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट, डिपो, 61, ई0सी0रोड, आराघर, देहरादून के एरिया मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्षभर में निर्गत किये जाने वाले प्राधिकार पत्रों की संख्या शासन द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रहे।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

सं0 1174/2010/190(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250–250 प्रतियॉ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3–गार्ड फाईल हेतु/एन0आई0सी0।

(सी0एस0सेमवाल)
अपर सचिव,वित्त।

D:/ New Vigyapti/Two Wheelrs Vehicles/DT

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.1174/2010/190(120)/XXVII(8)/2008 dated 22 December, 2010 for general information.

Uttarakhand Shasan

VITTA ANUBHAG-8

No.1174/2010/190(120)/XXVII(8)/2008

Dehradun :: Dated: 22 December, 2010

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to order that with effect from the date of their publication of this notification in the Gazette, no tax shall be payable by a dealer under the said Act, on the turnover of sale of-

(a) Motor cycle, Scooter, Moped, including battery operated vehicles(sale value limit maximum 70 thousand rupees);

(b) Light motor vehicles including S.U.V. having the capacity of maximum seven seats including driver's seat for personal use(sale value limit maximum 5 lakh rupees).

to the members of Armed Forces of Indian/ other Defence Establishments or Defence Ex-Servicemen posted or residing, as the case may be, within the State of Uttarakhand through Canteen Stores Department/ Military Canteen on the basis of authority letter issued by an officer not below the rank of Commanding Officer recommending sale to the said persons without charging tax under the said Act, subject to the following conditions-

Conditions

(i) two copies of the authority letter shall be issued to the dealer out of which one copy shall be sent to the assessing authority of the dealer. The dealer shall submit one copy of the authority letter to the assessing authority along with the annual return;

(ii) the dealer shall annex a list of sales made against the authority letter with the periodical return;

(iii) the facility of purchase of four wheeler vehicle to a serving or ex-serviceman shall be available only once;

(iv) Motor cycle, Scooter, Moped or Light Motor Vehicles purchased under the facility given under this notification shall not be transferred to any person except the wife/husband/son/ daughter or any serving or ex-serviceman within the period of ten years from the date of purchase. In this connection an entry shall be recorded on the registration certificate of the vehicles by the registering authority of the transport department;

(v) the concerning officers shall ensure the entry of purchase of vehicles in the service record of the serving military personnel or in other records of the ex-serviceman;

(vi) for whole of the State the yearly number for vehicles mentioned at serial number (a), shall be limited to three hundred and fifty and for vehicles mentioned at serial number (b), shall be limited to one hundred and fifty. Area Manager, Canteen Stores Department, Depot, 61, E.C. Road Araghar, Dehradun shall ensure that the number of authority letters issued in a year remains confined within the limit prescribed by the Government.

By Order,

(RADHA RATURI)
SECRETARY, FINANCE.

D:/ New Vigyapti/Two Wheelrs Vehicles/DT